न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 113/2022

1 मक्खन पुत्र परतुराम जाति माली निवासी झरड़ा वाली ढाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 नागरमल पुत्र कुशलाराम
2 रामेश्वरलाल पुत्र परतुराम
जाति माली निवासी झरड़ावाली ढाणी तन बिरोल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
3 तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील बखिलाफ निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 22.07.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू मुकदमा उनवानी नागरमल बनाम मक्खनलाल मु.नं. 73/2019 दावा बाबत विभाजन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोज कुमार वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 26.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा 73/2019 में पारित निर्णय दिनांक 22.07.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि जमीन हाल खसरा नम्बर 1521/534 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 531 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 540 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 659 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 660 रकबा 0.90 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 661 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 662 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 663 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 664 रकबा 0.50 हैक्टेयर कुला किता 10 कुल रकबा 2.67 हैक्टेयर सरहद राजस्व ग्राम झरड़ावाली ढाणी पटवार हल्का बिरोल तहत तहसील नवलगढ़ में स्थित है। उक्त जमीन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

में से अपीलान्ट 1/4 हक हिस्से का सह खातेदार है तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नागरमल 1/2 हक हिस्से का सह खातेदार है एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 रामेश्वरलाल 1/4 हक हिस्से का सह खातेदार है। उक्त जमीन के बंटवारा बाबत रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नागरमल ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश किया। विचारण न्यायालय ने उक्त वाद पत्र को दिनांक 26.02.2020 को प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिनांक 22.07.2022 को अन्तिम रूप से निर्णित कर डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नागरमल ने विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त जमीन में से अपने 1/2 हक हिस्सा की जमीन का अलग से विधिवत विभाजन बाबत एक साधारण डिविजन का वाद पत्र पेश किया था। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 नागरमल ने अपने वाद पत्र में स्पेशल पीस ऑफ लैण्ड या स्पेशल खसरा नम्बर पर काबिज होना या उपरोक्त अनुसार कोई विशेष जमीन बंटवारा में देने बाबत दावा में प्लीड नहीं किया इस कारण विचारण न्यायालय ने दिनांक 26.02.2020 को वाद पत्र को साधारणतया प्राथमिक रूप से डिक्री कर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया कि विभाजन के नियम 18 लगायत 21 को मध्यनजर रखते हुये पक्षकारान की मौजुदगी में युक्ति युक्त रास्ते के प्रावधान को मध्यनजर रखकर मुताबिक रिकार्ड कब्जा काश्त विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान की मौजुदगी में बनाकर प्रस्तुत करें। विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांकित 26.02.2020 की पालना में दिनांक 24.11.2020 को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव बनाये गये। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.11.2020 में सहमति के बावजुद भी एक पक्षीय कार्यवाही का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.11.2020 पर गलत रूप से दिनांक 26.03.2021 को एतराज किया जिस पर विचारण न्यायालय ने पुनः विभाजन प्रस्ताव बनाकर भेजने बाबत तहसीलदार को आदेशित किया। विचारण न्यायालय द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव के आदेश दिनांक 26.03.2021

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की पालना में दिनांक 17.09.2021 को विभाजन प्रस्ताव अपीलान्ट की गैर मोजुदगी में अपीलान्ट की पीठ पीछे विभाजन प्रस्ताव बनाये। उक्त विभाजन प्रस्ताव बनाने के लिये विचारण न्यायालय ने तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया था लेकिन मौके पर विभाजन प्रस्ताव बनाने के लिए तहसीलदार नवलगढ़ मौके पर नहीं गया। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का को विभाजन प्रस्ताव बनाकर पेश करने बाबत विभाजन प्रस्ताव का कोई आदेश नहीं था। कानून से न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 17.09.2021 बिना क्षेत्राधिकार के होने के कारण उसके आधार पर पारित अन्तिम डिक्री अवैध होने से खारिज होने योग्य है। पूर्व विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान की सहमति रही है। जमीन हाल खसरा नम्बर 663 रकबा 0.02 हैक्टेयर ग्राम झरड़ावाली ढाणी गैर मुमकिन कुआ है जिसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के नाम से कृषि विद्युत कनेक्शन है पूर्व विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 663 में 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का रखा गया है तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 प्रत्येक का 1/4 हक हिस्सा रखा गया है उक्त गेर मुमकिन कुआ व खसरा नम्बर 1521/534 रास्ता शामलाती है लेकिन बाद में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 ने साज करके दिनांक 17.09.2021 को पूर्व विभाजन प्रस्ताव से हटकर गलत विभाजन प्रस्ताव बनाये है। पुनः विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.09.2021 में खसरा नम्बर 663 रकबा 0.02 हैक्टेयर जमीन गैर मुमकिन कुआ सम्पूर्ण गलत रूप से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हिस्से में गलत दर्ज कर दिया तथा पूर्व विभाजन प्रस्ताव व पुनः विभाजन प्रस्ताव में जमीन का भी काफी अन्तर है पूर्व विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 2 को अलग अलग जमीन बांटक दी गई है तथा पुनः विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्ट एव रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 के हक की जमीन को शामलाती रखा है। इस प्रकार अन्तिम निर्णय व डिक्री खारिज होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। 24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन के नियम 18 से 21 के अनुसार मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से सहमति के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 01.12.2020 को तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट मक्खन की अगूंठा निशानी अंकित है। इस विभाजन प्रस्ताव के उपरांत विचारण न्यायालय ने पुनः विभाजन प्रस्ताव वादी के एतराज को स्वीकार कर पक्षकारान की मौजूदगी में तैयार करने के आदेश दिये है। इन आदेशों की पालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 17.09.2021 को पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है। इन विभाजन प्रस्तावों पर अपीलांट मक्खन के अंगूठा निशानी अंकित नहीं है। विभाजन प्रस्ताव में मक्खन को प्रस्ताव तैयार करते समय उपस्थित होना तो अंकित किया है किन्तु हस्ताक्षर करने से इन्कान करने का अंकन नहीं है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव संदेह से परे नहीं माने जा सकते है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शे पर केवल पटवारी हल्का के हस्ताक्षर है। तहसीलदार एवं भू–अभिलेख निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं है। स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कि उभयपक्ष की उपस्थिति में नियम 18 से 21 पालना में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 26.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम भोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर